

2025/781

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

पार्वती पत्नी लिखमन बनाम तहसीलदार (घोद) ह
 किस्म मुकदमा मु.नं. 405 वर्ष 2025
 डा. 97/1362R

| दिनांक | आज्ञा - पत्र |
|--------|--------------|
|--------|--------------|

19/09/25

प्रार्थीया पार्वती पत्नी लिखमन जाति जाट निवासी ग्राम नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती के अनुसार ग्राम नेतड़वास पटवार हल्का नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. 100 (नया) के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम पारादेवी पत्नी लिखमणराम जो कि गलत है। जबकि प्रार्थीया का सही नाम पार्वती पत्नी लिखमन है। प्रार्थीया के दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड की प्रस्तुत प्रतियों में प्रार्थीया का सही नाम पार्वती पत्नी लिखमन दर्ज है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम पारादेवी पत्नी लिखमणराम के स्थान पर पार्वती पत्नी लिखमन दुरुस्त किया जावे।

प्रकरण में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टि के संबंध में तहसीलदार, धोद के पत्रांक: भू.अ./2025/1312 दिनांक 11.07.2025 के द्वारा दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थीया के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना-पत्र अ.घा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावे।

अतः प्रार्थीया का आवेदन तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम नेतड़वास पटवार हल्का नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. 100 (नया) के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम पारादेवी पत्नी लिखमणराम के स्थान पर पार्वती पत्नी लिखमन दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, धोद के पत्रांक: भू.अ./2025/1312 दिनांक 11.07.2025 के द्वारा प्राप्त दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली पौसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर में।

उपखण्ड अधिकारी
 धोद धोद जिला सीकर

